संख्या-390/2020/514/22-2-2020-17(179)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2020***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री रामचेत, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20-05-2020 दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कमलेश पुत्र श्री रामचेत, ग्राम-चपरा पूर्वी थाना-घनघटा, जनपद-सन्तकबीर नगर का निवासी है। बंदी द्वारा जमीनी बटवारें की रंजिश को लेकर दिनांक 08.08.2007 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुदाल व भाला से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45/2008 में भा0द0वि0 की धारा-304/34, 323/34, 324/34, 325/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, सन्तकबीर नगर के आदेश दिनांक 12.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 10.11.2019 तक 12 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमलेश (बन्दी संख्या-17184) पुत्र श्री रामचेत, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-390/2020/514(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in